राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 19/2022

निर्णय दिनांक :– 30/9/2022

वादी:–

उमाराम पुत्र दौलारामजी, आयु–वयस्क
जाति–सीरवी, निवासी– कोटडी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.)

विरूद्ध

प्रतिवादीगण :–

1. चन्दाराम पुत्र वेलारामजी, आयु–वयस्क
2. कंकुबाई पत्नि वेलारामजी, आयु–वयस्क
3. गेरीदेवी पुत्री वेलारामजी, आयु–वयस्क
4. सुरेश पुत्र गलारामजी, आयु–वयस्क
5. कुसुम पुत्री गलारामजी, आयु–वयस्क
6. डीम्पल पुत्री गलारामजी, आयु–वयस्क
7. भंवरी पुत्री गलारामजी, आयु–वयस्क
8. शान्ता पुत्री गलारामजी, आयु–वयस्क
9. पोनी पत्नि गलारामजी, आयु–वयस्क
10. अणसी पत्नि पूनारामजी, आयु–वयस्क
11. मीराबाई पत्नि पुखरामजी, आयु–वयस्क
    जातिगण तमाम– सीरवी, निवासीगण–कोटडी,
    तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.)
12. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राजस्थान सरकार)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री दिलीप कुमार व्यास अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादीगण 1 लगाय 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– **दिनांक:–** 30/9/2022

1– वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम कोटडी पटवार हल्का कोटडी तहसील–देसूरी में कृषि भूमि खसरा नम्बर 441 क्षेत्रफल 1.1600 हैक्टर किस्म चा[illegible] खसरा नम्बर 442 क्षेत्रफल 1.600 हैक्टर किस्म चा.प्र.जा.अ., खसरा नम्बर 444 क्षेत्रफल [illegible] हैक्टर किस्म चा.प्र.जा.अ., खसरा नम्बर 456 क्षेत्रफल 0.6100 हैक्टर किस्म [illegible] नम्बर 458 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 459 क्षेत्रफल 0.0600 किस्म गै.मु. सडा, कुल [illegible] 6 कुल क्षेत्रफल 5.9200 हेक्टर कुल लगान रूपया 163 [illegible]मान थी। वादी एवं उसके [illegible] बेला पुत्र दौला एवं माता चुनकी बेवा दौला की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की खातेदारी कृषि भूमि विद्यमान थी।

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश (2) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 19/2022 अनवान उमाराम बनाम चन्दाराम व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए आर.टी.एक्ट 1955

2– यह कि उक्त वादग्रस्त आराजियात में से माता चुनकी बेवा दौला की मृत्यपरान्त जरिये नामान्तरण संख्या 211/5.9.98 के चुनकी बेवा दौला की जगह वादी उमा व उसके भाई वेला के नाम दर्ज हुए। इस प्रकार उक्त आराजियात कृषि भूमि वादी एवं उसके भाई वेला पुत्र दौला की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की हुई, जिसमे वादी एव उसके भाई वेला का समान 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी आधिपत्य का था। प्रमाण स्वरूप पुरानी जमाबंदी सम्वत् 2053–56 की प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रस्तुत है। उक्त खसरा की वादी एवं उसके भाई वेला की संयुक्त खातेदारी की आराजियात कृषि भूमि को वादपत्र में आगे वादग्रस्त आराजियात से सबोधित किया गया है।

3– यह कि उक्त वादग्रस्त आराजियात वादी एव उसके भाई वेला की बहिस्सा बराराब बराबर 1/2–1/2 हिस्सा के सयुक्त खातेदारी आधिपत्य की थी, जिसका वादी एवं उसके भाई वेला के जीवनकाल मे दोनों भाईयो की आपसी सहमति एव रजामंदी से मौखिक रूप से पारिवारिक समझौता होकर भौतिक एवं वास्तविक रूप से बंटवाडा काफी 22 वर्षो पूर्व हो गया, जिस अनुरूप वादी के बंट मे खसरा नम्बर 441 रकबा 1.1600 हेक्टर सम्पूर्ण , खसरा नम्बर 442 रकबा 1.6000 हेक्टर सम्पूर्ण एवं इससे लगती हुई खसरा नम्बर 444 में से रकबा 0. 16500 हेक्टर कुल रकबा 2.9250 हेक्टर वादपत्र के सलंग्न प्रस्तुत नक्शा प्रति में बरंग लाल स्याही से दर्शित एवं खसरा नम्बर 458 व 459 गे.मु. बेरा, सडा का 1/2 हिस्सा वादी के बंट में रखा गया, जिस पर मौके पर वक्त विभाजन से यानि पिछले 22 वर्षो से आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त पृथक रूप से वादी का चला आ रहा है एवं बाद विभाजन के वादी ने अपने बंट की उक्त कृषि भूमि पर लाखों रूपये लगाकर एवं अथक मेहनत कर इस समतल, उपजाऊ बनाया एवं विकसित किया। एव खसरा नम्बर 456 रकबा 0.6100 हैक्टर सम्पूर्ण संलग्न नक्शा प्रति में बरंग आसमानी से दर्शित, खसरा नम्बर 444 में से रकबा 2.3150 हेक्टर पूर्व दिशा तरफ की नक्शा में बरंग पीला से दर्शित कुल रकबा 2.9250 हेक्टर नक्शा में पीला व आसमानी से दर्शित एवं खसरा नम्बर 458 व 459 गे.मु बेरा, सडा का 1/2 हिस्सा वादी के भाई वेला के बंट में रखा गया जिस पर पृथक रूप से वक्त विभाजन से यानि पिछले 22 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त वादी के भाई वेला का चला आया है किन्तु मात्र राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजियात वादी एवं उसके भाई वेला की संयुक्त खातेदारी दर्ज चली आई।

4– वादी के भाई वेला ने उपरोक्तानुसार 22 वर्ष पूर्व हुए पारिवारिक समझौता बंटवाडा में उसके बंट में आयी पृथक कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि में से कुल 0.6350 हेक्टर कृषि भूमि यानि खसरा नम्बर 457 रकबा 0.6100 हेक्टर सम्पूर्ण एवं इससे लगती हुई खसरा नम्बर 444 में से रकबा 0.0250 हेक्टर कुल रकबा 0.6350 हेक्टर कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 अणसी पत्नि पूनाराम एवं मीराबाई पत्नि पुखराज को विक्रय की गई एवं मौके पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को सुपुर्द कर दिया, तब से इस पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 10 व 11 का पृथक रूप से चला आ रहा है। किन्तु रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी की दर्ज सुदा होने से रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 457 रकबा 0.6100 हेक्टर में दर्ज वादी के भाई वेला की खातेदा[illegible] खसरा नम्बर 444 रकबा 2.4800 हेक्टर में दर्ज वेला के 1/2 हिस्से में से [illegible] यानि इस खसरा की आराजी का 33/496 वा हिस्सा प्रतिवादी [illegible] वा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 मीराबाई के नाम बेचान किया गया। [illegible] नामान्तरकरण संख्या 227 के जरिये खसरा नम्बर 457 रकबा 0.6100 हेक्टर का पृथ[illegible]खाता अणसी पत्नि पुनाराम हिस्सा 1/4, उमाराम पुत्र दौलाराम हिस्सा 1/2, मीराबाई पत्नि पुखराज हिस्सा 1/4 अनुसार बना। ~~एवं~~ खसरा नम्बर 444 रकबा 2.4800 हेक्टर का पृथक खाता उमा पुत्र दौला 1/2 हिस्सा, वेला पुत्र दौला 0.91 हेक्टर, अणसी पत्नि पुनाराम, मीराबाई पत्नि पुखराज 0.33 हेक्टर बराबर 1/2 हिस्सा अनुसार बना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

5– वेला पुत्र दौला की मृत्यु होने से उसके स्थान पर मृत वेला के वारिसान खातेदार दर्ज हुए जिस अनुरूप इस खसरा नम्बर 444 रकबा 2.4800 हेक्टर के खातेदार अणसी पत्नि पुनाराम हिस्सा 33/496, उमाराम पुत्र दौलाराम हिस्सा 1/2, कंकुबाई पत्नि वेलाराम हिस्सा 91/992, गेरीदेवी पुत्री वेलाराम हिस्सा 91/992, गलाराम पुत्र वेलाराम हिस्सा 91/991, चन्दाराम पुत्र वेलाराम हिस्सा 91/992, मीराबाई पत्नि पुखराज हिस्सा 33/496 खातेदार रिकॉर्ड में दर्ज हुए, जिसमें से गलाराम पुत्र वेलाराम की मृत्य हो चुकी है। जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4 लगाय 9 है एवं खसरा नम्बर 441, 442, 458, 459 कुल खसरे 4 कुल रकबा 2.8300 हेक्टर का पृथक संयुक्त खाता उमाराम पुत्र दौलाराम हिस्सा 1/2, ककुबाई पत्नि वेलाराम हिस्सा 1/8, कुसुम पुत्री गलाराम हिस्सा 1/48, गेरीदेवी पुत्री वेलाराम हिस्सा 1/8, चन्दाराम पुत्र वेलाराम हिस्सा 1/8, डीम्पल पुत्री गलाराम हिस्सा 1/48, पोनी पत्नि गलाराम हिस्सा 1/48, भवरी पुत्री गलाराम हिस्सा 1/48, शांता पुत्री गलाराम हिस्सा 1/48, सुरेश पुत्र गलाराम हिस्सा 1/48 के नाम खातेदारी का दर्ज हुआ, जो मात्र वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड में दर्ज है किन्तु वास्तविक रूप से पूर्व में हुए बंटवाडा अनुसार की पक्षकारान वादग्रस्त आराजियात के हकदार काबिज चले आ रहे है।

6– इस प्रकार उपरोक्त रूपेण 22 वर्षो पूर्व पारिवारिक समझौता मे वास्तविक एवं भौतिक रूप से हुए बंटवाडा अनुसार वादग्रस्त आराजियात में से वादी के बंट एवं अधिकार आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 1.1600, खसरा नम्बर 442 रकबा 1.6000 सम्पूर्ण एवं इससे लगती हुई खसरा नम्बर 444 मे से रकबा 0.16500 हेक्टर कुल रकबा 2.9250 हेक्टर वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत नक्शा प्रति में बरंग लाल से दर्शित वादी के बंट अधिकार आधिपत्य की है, जिस पर वक्त विभाजन 22 वर्षो से पृथक रूप से कब्जा काश्त बिना किसी दखलन्दाजी के खुले आम वादी का चला आ रहा है जिसमें प्रतिवादीगण का विभाजन के बाद कोई हक हिस्सा एवं अधिकार आधिपत्य नहीं है, जिस वादी अपनी खातेदारी की घोषित कराने का अधिकारी है।

7– इसी प्रकार खसरा नम्बर 444 में से पूर्व दिशा की तरफ की कृषि भूमि रकबा 2.3150 हेक्टर प्रस्तुत नक्शा प्रति में बरंग पीला से दर्शित पारिवारिक समझौता बंटवाडा से भाई मृत वेला के बंट में आयी हुई उसकी मृत्युपरान्त उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से लगाय 9 के बंट में आयी हुई, प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 के बंट अधिकार आधिपत्य की है। जिस पर वक्त विभाजन 22 वर्षो से पृथक रूप से कब्जा काश्त लगातार बिना किसी दखलन्दाजी के खुले आम मृत वेला का एवं उसकी मृत्युपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगाय 9 का चला आ रहा है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 का कोई हक हिस्सा एवं अधिकार आधिपत्य नहीं है, जिसे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 9 अपनी खातेदारी की घोषित कराने के अधिकारी है। इसी प्रकार मृत वेला के बंट में आयी पृथक कब्जा सुदा भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 को उसके द्वारा विक्रय हस्तान्तरण की गई आराजी खसरा नम्बर 457 रकबा 0.6100 हेक्टर सम्पूर्ण एवं इससे लगती हुई खसरा नम्बर 444 में से रकबा 0.0250 हेक्टर कुल रकबा 0.6350 हेक्टर नक्शा में बरंग आसमानी से दर्शित प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 के खरीद सुदा बंट अधिकार आधिपत्य की है। जिस पर खरीद से प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 का आज दिन तक लगातार निर्विरोध कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें वादी एवं दीगर प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगाय 9 का कोई हक हिस्सा एवं अधिकार आधिपत्य नहीं है जिसे प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 अपनी खातेदारी की घोषित कराने की अधिकारी है। जिस हेतु प्रतिवादीगण को कहने पर आज कल बतला कर टालम–टोली कर रहे है, जिस हेतु उपरोक्तानुसार खातेदारी घोषणा का यह वाद वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण के हस्ब धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट के तहत एव प्रतिवादीगण द्वारा वादी के बंट अधिकार आधिपत्य की कृषि भूमि में नाजायज दखलन्दाजी किये जाने की आशका होने से यह

पेज लगातार 04 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के धारा 188, 92ए आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा प्रति, जिसमें अलग-अलग रंगों से वादी व प्रतिवादीगणों के बंटों को दर्शाया गया है जिसे वाद पत्र का भाग माना जावे।

8- यह कि वादग्रस्त आराजियात का 22 वर्षो पूर्व मौखिक पारिवारिक समझौता भौतिक एवं वास्तविक रूप से बंटवाडा होने से बंटवाडा अनुसार वाद पत्र में वर्णित अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने बंट की भूमियों पर पृथक-पृथक रूप से काबिज चले आ रहे होने से माफिक बंटवाडा के वादी अपने बंट की कृषि भूमि को अपनी खातेदारी घोषित कराना चाहने पर विरूद्ध प्रतिवादीगण यह वाद अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माफिक वाद में इस अमर की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे कि मौजा ग्राम कोटडी पटवार हल्का कोटडी में स्थित वादग्रस्त आराजियात में से खसरा नम्बर 441 रकबा 1.1600 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 442 रकबा 1.6000 हेक्टर सम्पूर्ण एवं इससे लगती हुई खसरा नम्बर 444 में से रकबा 0.1650 हेक्टर कुल रकबा 2.9250 हेक्टर संलग्न प्रस्तुत नक्शा प्रति में बरंग लाल से दर्शित वादी उमाराम पुत्र दौलाराम की खातेदारी की घोषित की जावे एवं खसरा नम्बर 444 में से पूर्व दिशा की तरफ की कृषि भूमि रकबा 2.2900 हेक्टर संलग्न नक्शा प्रति में बरंग पीला से दर्शित प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगाय 9 की खातेदारी घोषित की जावे एवं खसरा नम्बर 457 रकबा 0.6100 हेक्टर सम्पूर्ण एवं इससे लगती हुई खसरा नम्बर 444 में से रकबा 0.0250 हैक्टर कुल रकबा 0.6350 हेक्टर नक्शा में बरंग आसमानी से दर्शित प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 की खातेदारी की घोषित की जावे एवं माफिक डिक्री के राजस्व अभिलेख मे अमलदरामद करने एवं नक्शा में तरमीमात करने आदेश फरमाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगाय 11 के विरूद्ध वादी के बंट की खातेदारी आराजियात में वादी के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी, हस्तक्षेप नहीं करने एवं किसी अन्य से नहीं कराने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

9- वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी मे नियत की गई। वादी की ओर से वादी उमाराम स्वयं पी.डब्लयू 1, गवाह मगाराम पी.डब्लयू 2 एवं गवाह मूलाराम पी.डब्लयू 3 के बयान कलमबद्ध किये गये। निम्ना दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श करवाये गये :- प्रदर्श 2- जमाबंदी सम्वत् 2053-2056, प्रदर्श 3- नक्शा ट्रेस, जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 प्रदर्श 4, 5 एवं 6 प्रस्तुत किये गये। वादी व गवाहान द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र शामिल मिसल किये जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

10- प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा एक पक्षीय बहस की गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का 22 वर्ष पूर्व पारिवारिक समझौता के [illegible] मौखिक एवं भौतिक रूप से बंटवाडा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 [illegible] अपने-अपने हक हिस्सा एव आधिपत्य की भूमि पर शातिपूर्वक [illegible] वर्णित एव सलग्न नक्शा में बरगों से दर्शित अनुसार [illegible] को खातेदारी की घोषित कर डिक्री फरमवाई जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड का अवलोकन [illegible] गया। बहस पर मनन करने, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से एव वादी के साक्ष्य के परिपेक्ष्य में हम पाते है कि सलग्न नक्शा प्रति प्रदर्श 3 मे दर्शित बरगों अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादी एव वादी के भाई चैलाराम के बीच 20 वर्षो पूर्व हुए पारिवारिक समझौता अनुसार बटवाडा के अनुरूप वक्त बटवाडा यानि 20 वर्षो से वादी अपने बट की भूमि पर काबिज है एव वादी के

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

भाई वेलाराम द्वारा अपने बंट की भूमि बेचान करने से खरीद सुदा भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 तथा वादी के भाई वेलाराम के बंट की शेष भूमि पर मृत्यपरान्त वेलाराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 9 काबिज चले आ रहे। जिससे वादी वादग्रस्त आराजी मे खसरा नम्बर 441, 442 सम्पूर्ण एवं इससे लगती हुई खसरा नम्बर 444 में से 0.16500 हेक्टर कुल रकबा 2.9250 हेक्टर नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि खातेदारी घोषणा पाने की अधिकारी है एवं खसरा नम्बर 444 में से पूर्व दिशा की तरफ की कृषि भूमि रकबा 2.2900 हेक्टर नक्शे मे बरंग पीला से दर्शित भूमि का प्रतिवादीगण 1 लगाय 9 तथा खसरा नम्बर 457 रकबा 0.6100 सम्पूर्ण एवं इसे लगती हुई खसरा नम्बर 444 में से रकबा 0.0250 कुल रकबा 0.63500 हेक्टर नक्शे में बरंग आसमानी से दर्शित भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 खातेदारी घोषणा पाने की अधिकारी है। अतः न्यायालय की राय में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित एवम् न्याय संगत है एवं बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री योग्य है। अतएव–

–: आदेश :–

अतः वादी का यह वाद अन्तर्गत धारा– 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादिर की जाती है कि– वादग्रस्त आराजी मौजा कोटडी, पटवार कोटडी, तहसील– देसूरी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 1.1600 हेक्टर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 442 रकबा 1.6000 सम्पूर्ण तथा इससे लगती हुई खसरा नम्बर 444 रकबा 2.4800 में से 0. 1650 हेक्टर कुल रकबा 2.9250 हेक्टर भूमि सलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित वादी उमाराम पुत्र दौलाराम की खातेदारी आधिपत्य की घोषित की जाती है एवं खसरा नम्बर 444 मे से पूर्व दिशा की ओर कृषि भूमि रकबा 2.2900 हेक्टर नक्शे में बरंग पीला से दर्शित प्रतिवादीगण 1 लगाय 9 की खातेदारी आधिपत्य की घोषित की जाती है। खसरा नम्बर 457 रकबा 0.6100 हेक्टर सम्पूर्ण एवं इससे लगती हुई खसरा नम्बर 444 में से रकबा 0.0250 हेक्टर कुल रकबा 0.63500 हेक्टर भूमि नक्शे मे बरंग आसमानी से दर्शित प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 की खातेदारी आधित्य की घोषित की जाती है। खसरा नम्बर 458 रकबा 0.0100 किस्म गै.मु बेरा तथा खसरा नम्बर 459 रकबा 0.0600 गै.मु सडा में वादी उमाराम का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1 लगाय 9 का 1/2 हिस्सा की खातेदारी आधिपत्य की घोषित की जाती है।

माफिक डिक्री राजस्व अभिलेख वर्तमान जमाबंदी मे अमलदरामद किया जावे एवं नक्शा में तरमीम किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 11 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि– उक्त वादग्रस्त आराजी के वादी के बंट की भूमि पर कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी नही करे न किसी अन्य से करावे। तादनुरूप डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय एवं डिक्री पर्चा की सत्यापित प्रति तहरीर के साथ में तहसीलदार देसूरी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

(................ गहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 30/9/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ देसूरी पाली)

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादीगण	**ब ना म** **प्रतिवादीगण**
उमाराम पुत्र दौलारामजी, आयु–वयस्क जाति–सीरवी, निवासी– कोटडी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.)	1. चन्दाराम पुत्र बेलारामजी, आयु–वयस्क 2. ककुबाई पत्नि वेलारामजी, आयु–वयस्क 3. गेरीदेवी पुत्री वेलारामजी, आयु–वयस्क 4. सुरेश पुत्र गलारामजी, आयु–वयस्क 5. कुसुम पुत्री गलारामजी, आयु–वयस्क 6. डीम्पल पुत्री गलारामजी, आयु–वयस्क 7. भंवरी पुत्री गलारामजी, आयु–वयस्क 8. शान्ता पुत्री गलारामजी, आयु–वयस्क 9. पोनी पत्नि गलारामजी, आयु–वयस्क 10. अणसी पत्नि पूनारामजी, आयु–वयस्क 11. मीराबाई पत्नि पुखरामजी, आयु–वयस्क जातिगण तमाम– सीरवी, निवासीगण–कोटडी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.) 12. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राजस्थान सरकार)

दावा बाबत 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :– 19/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादी श्री दिलीप कुमार व्यास मुदई [illegible] मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा कोटडी, पटवार कोटडी, तहसील–देसूरी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 1.1600 हेक्टर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 442 रकबा 1.6000 सम्पूर्ण तथा इससे लगती हुई खसरा नम्बर 444 रकबा 2.4800 में से 0.1650 हेक्टर कुल रकबा 2.9250 हेक्टर भूमि संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित वादी उमाराम पुत्र दौलाराम की खातेदारी आधिपत्य की घोषित की जाती है एवं खसरा नम्बर 444 मे से पूर्व दिशा की ओर कृषि भूमि रकबा 2.2900 हेक्टर नक्शे में बरंग पीला से दर्शित प्रतिवादीगण 1 लगाय 9 की खातेदारी आधिपत्य की घोषित की जाती है। खसरा नम्बर 457 रकबा 0.6100 हेक्टर सम्पूर्ण एवं इससे लगती हुई खसरा नम्बर 444 में से रकबा 0.0250 हेक्टर कुल रकबा 0.63500 हेक्टर भूमि नक्शे में बरंग आसमानी से दर्शित प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 की खातेदारी आधित्य की घोषित की जाती है। खसरा नम्बर 458 रकबा 0.0100 किस्म गे.मु बेरा तथा खसरा नम्बर 459 रकबा 0.0600 गे.मु सडा में वादी उमाराम का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1 लगाय 9 का 1/2 हिस्सा की खातेदारी आधिपत्य की घोषित की जाती है।

माफिक डिकी राजस्व अभिलेख वर्तमान जमाबंदी मे अमलदरामद किया जावे एवं नवशा में तरमीम किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 11 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि– उक्त वादग्रस्त [illegible] वादी के बंट की भूमि पर कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण [illegible] दखलन्दाजी नही करे न किसी अन्य से करावे। त[illegible] डिक्री पर्चा की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 9 सन 2022 को जारी किया गया।

मोहर

(राजलक्ष्मी गहलोत)

[illegible]अधिकारी

(एस डी ओ), [illegible]

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस गवाहन			बाबत इजराय हुक्म		
फीस कमीशनर			नामा मुल्करिक		
बाबत इजराय हुक्म			मिजान		
नामा					
मिजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested